भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 240
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर कंपोनेंट विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन</u>

*240. डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री प्रताप चंद्र षडंगीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सौर ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के लिए सबसे किफायती विकल्प बन रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सौर ऊर्जा के अपनाए जाने को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर कंपोनेंट के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'सोलर कंपोनेंट विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 240 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त सौर विद्युत परियोजनाओं के टैरिफ प्रतिस्पर्धी और किफायती है, जिनकी अलग-अलग राज्यों में विभिन्न डिस्कॉमों द्वारा खरीद की जा रही है।

(ख) देश में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने समय-समय पर विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। चल रही योजनाओं की सूची अनुलग्नक-**I** में दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सौर उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण में तेजी लाने के लिए लगातार नीतियाँ ला रही है। की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख अनुलग्नक-**II** में किया गया है।

अनुलग्नक-**I**

'सोलर कंपोनेंट विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन**'** के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 240 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

देश में सौर ऊर्जा को बढावा देने के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना करने के लक्ष्य से सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी मूलभूत सुविधाएं सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में सहायता करती है।

2. देश भर में एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना।

3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (ट्रांश-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना।

4. लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों, स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना।

5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।

6. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए।

अनुलग्नक-II

'सोलर कंपोनेंट विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 240 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

सौर घटकों के स्वदेशी विनिर्माण को बढाने के लिए की गई प्रमुख पहल

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाः भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना कार्यान्वित कर रही है। यह योजना दो ट्रांश में लागू की जा रही है। ट्रांश-I में 4,500 करोड़ रु. का परिव्यय है, जिसके अंतर्गत 8,737 मेगावाट की पूरी तरह से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए आवंटन पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) जारी किए गए हैं। 19,500 करोड़ रु. के परिव्यय से ट्रांश-II के लिए, पूरी तरह से/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की 39,600 मेगावाट की स्थापना के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए हैं।

(ii) स्वदेशी सामग्री आवश्यकता (डीसीआर): एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख एवं ग, और पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, इसमें स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद को अनिवार्य किया गया है।

(iii) सार्वजनिक खरीद में 'मेक इन इंडिया' को प्राथमिकताः उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश' के अनुसार, एमएनआरई ने आरई क्षेत्र के लिए खरीद प्राथमिकता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) को अधिसूचित किया था, जो अन्य के साथ-साथ, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान करता है जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है और यह अनिवार्यता है कि केवल 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए पात्र होगा, इस अनिवार्यता के साथ कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

(iv) सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा-शुल्क लगानाः सरकार ने दिनांक 01.04.2022 से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर मूल सीमा-शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) सीमा शुल्क रियायतों को बंद करनाः एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा शुल्क रियायत प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है।

*****